तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 374/2022 भूराराम बनाम गुरतेजसिंह वगै अन्तर्गत धारा 111,128 आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/09/22	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित। अवलोकन किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध पूर्व मे एक तरफा कार्यवाही की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा को पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद आज दिनांक तक वकलातनामा एवं जवाब पेश नहीं किया गया है । अतः अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्ध भी एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। इसके उपरान्त बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से ग्राम रोही जसवन्तसर खसरा नम्बर 420 मे संयुक्त खातेदारी भूमि स्थित थी। जिसका खाता बंटवारा होकर अलग-अलग रोही जसवन्तसर के खसरा नम्बर 787/420 तादादी 2.34 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 788/420 तादादी 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 789/420 तादादी 2.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 790/420 तादादी 3.34 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज थी जिस पर प्रार्थी का कब्जा एवं दखल निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि राजस्व नक्शा मे तरमीमशुदा है तथा तरमीम के अनुसार प्राथीगण का कब्जा एवं दखल चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान नायब तहसीलदार महाजन से विधिवत आदेश लेकर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 24.06.2022 को ग्राम के मौजिज व्यक्तियों एवं खेत पडौसीयों की उपस्थिति मे पुख्ता बिन्दु को आधार मानकर जरीब चला कर सीमाकंन करवाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा चिन्हीत कर सीमा चिन्ह कायम किये गये। प्रार्थी अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि मौजा रोही जसवन्तसर के खसरा नम्बर 787/420 तादादी 2.34 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 788/420 तादादी 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 789/420 तादादी 2.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 790/420 तादादी 3.34 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगडी करवाने का आदेश फरमावें जिससे सीमाओं का आपसी विवाद खत्म किया जा सके। पैरोकार राज द्वारा नियमानुसार पत्थर गढ़ी पर सहमति प्रकट की गई। हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। संलग्न फर्द मौका अनुसार नायब तहसीलदार (भू.अ.) महाजन के आदेश की पालना में पटवार हल्का द्वारा दिनांक 24.06.2022 को ग्राम रोही जसवन्तसर के खसरा नम्बर 787/420 तादादी 2.34 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 788/420 तादादी 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 789/420 तादादी 2.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 790/420 तादादी 3.34 हैक्टेयर भूमि का सीमाज्ञान करने मौके पर पहुंच सीमाचिह्न दिये गये जिसके अध्ययन मे किसी प्रकार की विपरीत रिपोर्ट प्रतीत नहीं होती हैं। अतः प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस का मनन कर आदेश दिये जाते है कि नायब तहसीलदार(भू.अ.) महाजन किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा रोही जसवन्तसर के खसरा नम्बर 787/420 तादादी 2.34 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 788/420 तादादी 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 789/420 तादादी 2.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 790/420 तादादी 3.34 हैक्टेयर भूमि के सींवजाड़ काश्तकार को सूचित कर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी करावे । फैसले की प्रमाणित प्रति नायब तहसीलदार (भू.अ.) महाजन को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर लूनकरनसर	